झारखण्ड विधान सभा

दैनिक विवरणिका

<u>पंचम् झारखण्ड विधान सभा</u> — <u>सप्तम् (शीतकालीन) सत्र</u>

<u>संख्या-04</u> — <u>मंगलवार, दिनांक-21 दिसम्बर, 2021 ई०।</u>

<u>समय-11.00 बजे पूर्वाह्न से 03.29 बजे अप० तक।</u>

माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

1.<u>प्रश्नकाल:-</u>

आज के लिए निर्धारित प्रश्नों का व्यवस्थापन निम्न प्रकार से हुआ-

(i) अल्पसूचित प्रश्नों की कुल संख्या-14

(क) उत्तरित कुल-04,	अ० सू०-64, श्री सरयू राय,	स०वि०स०,
	अ० सू०-66, श्री सुदिव्य कुमार,	स०वि०स०,
	अ० सू०-67, श्री नमन विक्सल कोनगाड़ी,	स०वि०स०,
	अ० सू०-70, श्री प्रदीप यादव,	स०वि०स०।
(ख) अपृष्ठ कुल-03,	अ० सू०-65, श्री ग्लेन जोसेफ गॉलस्टेन,	स०वि०स०,
	अ० सू०-68, श्री बिरंची नारायण,	स०वि०स०,
	अ० सू०-69, श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह,	स०वि०स०।
(ग) अनागत कुल-07,	अ० सू०-71 से लेकर अ०सू०-77 तक।	

(इस क्रम में पूर्व दिनों की भाँति भारतीय जनता पार्टी के अधिकांशतः माननीय सदस्य अपनी माँगों को लेकर सदन की वेल में आकर नारेबाजी करने लगे तत्पश्चात् शनैः-शनैः धरने पर भी बैठ गये।)

(ii) तारांकित प्रश्नों की कुल संख्या-59

(क) उत्तरित मात्र-01,	तारां०-स-08, श्री सरयू राय,	स०वि०स०।
(ख) अनागत कुल-58,	तारां-44 से लेकर तारां०-101 तक।	

इस क्रम में भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन की वेल में नारेबाजी की जाती रही। अतएव अव्यवस्था के माहौल को देखते हुए <u>सभा की कार्यवाही 11.38 बजे पूर्वा० से लेकर 12.00 बजे मध्या० तक</u> के लिए स्थगित कर दी गयी।

(स्थगनोपरांत)

<u>माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।</u>

2.<u>कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना:-</u>

माननीय सदस्य, श्री अनन्त कुमार ओझा के राज्य मे प्रतियोगिता परीक्षाओं सम्बन्धी, माननीय सदस्य, श्री बिरंची नारायण के पुलिस द्वारा बालू ट्रैक्टरों को पकड़े जाने, माननीय सदस्य, डॉ० लम्बोदर महतो के पिछड़ी जातियों का आरक्षण प्रतिशत बढ़ाये जाने, माननीय सदस्य, श्री मनीष जायसवाल के खासमहाल भूमि सम्बन्धी एवं माननीय सदस्य, श्री राज सिन्हा के सभी विद्यालयों मे

साईकिल वितरण किये जाने सम्बन्धी सूचनायें नियमानुकूल नहीं रहने तथा माननीय सदस्य, श्री अमर कुमार बाउरी की सूचना में एक से अधिक विषय के होने के कारण आसन द्वारा सभी सूचनायें अमान्य कर दी गयी।

(भारी शोरगुल)

3.शून्यकाल की सूचनायें:-

आसन से पुकारे जाने पर निम्नांकित माननीय सदस्यों द्वारा शून्यकाल की सूचनयें पढ़ी गयी-

श्री उमाशंकर अकेला,
श्री रामचन्द्र सिंह,
श्री दशरथ गागराई,
प्रो॰ स्टीफन मराण्डी,
श्री विनोद कुमार सिंह,
श्री राजेश कच्छप,
डॉ॰ इरफान अंसारी,
श्री समीर कुमार मोहन्ती,
श्री नमन विक्सल कोनगाड़ी,
डॉ॰ लम्बोदर महतो,
श्री मथुरा प्रसाद महतो,
श्री संजीव कुमार सरदार,
श्री भूषण बाड़ा,
श्री सोना राम सिंकू,
श्री प्रदीप यादव,
सुश्री अम्बा प्रसाद एवं
श्री बंधु तिर्की।

इस क्रम में पुकारे जाने के बावजूद भी निम्नांकित माननीय सदस्यों द्वारा शून्यकाल की सूचनायें नहीं पढ़ी गयी-

श्रीमती अपर्णासेन गुप्ता,
श्री अनन्त कुमार ओझा,
श्री बिरंची नारायण,
श्री केदार हजरा,
डॉ॰ नीरा यादव,
श्री अमित कुमार मण्डल,
श्री नारायण दास एवं
श्री किशुन कुमार दास।

4.सूचनाओं का दिया जाना:-

i- माननीय सदस्य, श्री नीलकण्ठ सिंह मुण्डा द्वारा राज्य में लोहरा, लोहार, चीक बड़ाईक आदि जातियों का प्रमाण-पत्र निर्गत नही होने की ओर आसन का ध्यान आकृष्ट किया गया तथा दिनांक-05.03.2021 को सरकार द्वारा जारी संकल्प पर आपत्ति दर्ज की,

ii- माननीय मुख्यमंत्री द्वारा उक्त आलोक में सम्पूर्ण वस्तुस्थिति को स्पष्ट करते हुए सदन को अवगत कराया गया कि छः माह के अन्दर सभी विद्यालयों में **Special Drive** चलाकर सभी जातियों के बच्चों का जाति प्रमाण-पत्र निर्गत कर दिया जायेगा। उन्होंने यह भी अवगत कराया कि अब जन्म से ही सरकार जाति प्रमाण-पत्र निर्गत करने की कार्रवाई करेगी।

(शोरगुल)

इसके उपरांत माननीय सदस्य, श्री मनीष जायसवाल को उनका ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पढ़े जाने हेतु आसन से पुकारा गया तत्पश्चात् उन्होंने कुछ कहते हुए अपने हाथ में लिये हुए कागजात को फाड़ दिया। इसके विरोधस्वरूप सत्तापक्ष के कतिपय माननीय सदस्य सदन की वेल में आ गये और उनके विरूद्ध कार्रवाई की माँग करने लगे जिससे अफरा-तफरी का माहौल कायम हो गया। माननीय सदस्य, श्री जायसवाल के द्वारा कागजात फाड़े जाने को लेकर आसन ने गहरी नाराजगी व्यक्त की और सदन की भावना को देखते हुए उनपर कार्रवाई किये जाने हेतु सदन को आश्वस्त किया तदुपरांत सभा की कार्यवाही 12.41 बजे अप० से लेकर भोजनावकाश तक के लिए स्थगित कर दी गयी।

(अन्तराल)

<u>माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।</u>

<u>5.आसन से नियमन:-</u>

माननीय अध्यक्ष महोदय के आसन ग्रहण करते ही माननीय संसदीय कार्यमंत्री, श्री आलमगीर आलम ने प्रस्ताव रखा कि आज दिनांक-21.12.2021 को प्रथम पाली में माननीय सदस्य, श्री मनीष जायसवाल द्वारा सदन में कार्यवाही फाड़ी गयी जो अशोभनीय कार्य है, अतएव उन्होंने आसन से अनुरोध किया कि वे इस सम्बन्ध में समुचित निर्णय लेना चाहेंगे।

इसके उपरांत आसन द्वारा निम्न नियमन दिये गये-

"<u>माननीय संसदीय कार्य मंत्री की जो भावना आयी है कि माननीय सदस्य, श्री मनीष जायसवाल द्वारा सदन में किया गया आचरण वर्तमान एवं आनेवाले समय के लिए उचित नहीं है। अतएव पंचम् झारखण्ड विधान सभा के सप्तम् (शीतकालीन) सत्र की शेष अवधि तक के लिए उन्हें सदन से निलम्बित किया जाता है।</u>"

बाद में उन्हें मार्शल आउट किया गया।

(भारी शोरगुल)

इस अवसर पर माननीय सदस्य, श्री अमित कुमार यादव, श्री उमाशंकर अकेला, डॉ० इरफान अंसारी एवं श्रीमती पूर्णिमा नीरज सिंह ने डी.वी.सी. द्वारा कमांड एरिया में बिजली कटौती की ओर आसन का ध्यान आकृष्ट किया।

<u>6.सभा मेज पर प्रतिवेदनों का रखा जाना:-</u>

i- आसन से पुकारे जाने पर माननीय सभापति, श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी ने अनागत प्रश्न क्रियान्वयन समिति का द्वितीय प्रतिवेदन सभा नियम-216(1) के तहत सदन पटल पर रखा,

ii- आसन से पुकारे जाने पर माननीय सभापति, श्री निरल पुरती ने सरकारी आश्वासन एवं आवास समिति का 45वाँ प्रतिवेदन सभा नियम-216(1) के तहत सदन पटल पर रखा।

(शोरगुल)

7.विधायी कार्य:

i- माननीय प्रभारी मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, श्री सत्यानन्द भोक्ता द्वारा "झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड (संशोधन) विधेयक-2019" को वापस किये जाने हेतु आसन की अनुमति से पुर:स्थापित किया गया जो ध्वनिमत से सभा द्वारा स्वीकृत हुआ,

ii- झारखण्ड (भीड़ हिंसा एवं भीड़ लिंचिंग निवारण) विधेयक-2021

माननीय प्रभारी मंत्री, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, श्री आलमगीर आलम द्वारा सभा की अनुमति से उपर्युक्त विधेयक को पुर:स्थापित किया गया।

पुर:स्थापनोपरांत माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त विधेयक पर विचार का प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

खण्डश: विचार के क्रम में विधेयक के खण्ड-02 एवं 03, खण्ड-04, खण्ड-05, खण्ड-06 से खण्ड-15 तक, खण्ड-16, खण्ड-17, खण्ड-18, खण्ड-19, खण्ड-21 एवं 22, खण्ड-01(नाम) तथा यथा संशोधित प्रस्तावना बारी-बारी से सभा की अनुमति से इस विधेयक के अंग बने।

माननीय सदस्य, श्री अमित कुमार मण्डल एवं माननीय सदस्य, श्री अनन्त कुमार ओझा द्वारा प्रस्तुत संशोधन के प्रस्ताव स्वीकृत हुए एवं अन्य माननीय सदस्यों से प्राप्त संशोधन अस्वीकृत हुए तदुपरांत माननीय प्रभारी मंत्री ने उपर्युक्त विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया तत्पश्चात् "झारखण्ड (भीड़ हिंसा एवं भीड़ लिंचिंग निवारण) विधेयक-2021" सभा द्वारा ध्वनिमत से स्वीकृत हुआ।

(इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों ने सदन का परित्याग किया।)

इसके उपरांत सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक-22.12.2021 के 11.00 बजे पूर्वा० तक के लिए स्थगित कर दी गयी।

रांची,
दिनांक- 21 दिसम्बर, 2021 ई०।

सैय्यद जावेद हैदर
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा।